गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर (छ0ग0)

विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 24–10–2018 का कार्यवृत्त

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 24–10–2018 को अपरान्ह 4.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

01	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्षा
02	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
03	प्रो0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
04	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
05	प्रो0 व्ही0डी0 रंगारी	सदस्य
06	प्रो0 विशन सिंह राठौड़	सदस्य
07	डॉ0 रेणु भट्ट	सदस्य
08	प्रो0 बी.एन. तिवारी	सदस्य
09	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
10	डॉ0 एम.सी.राव	सदस्य
11	डॉ0 राकेश पाण्डेय	सदस्य
12	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार (कुलसचिव कार्यवाहक)	सचिव
13	डॉ0 एच.एन. चौबे	विशेष आमंत्रित
14	डॉ0 ए.के.दीक्षित	विशेष आमंत्रित

बैठक में प्रो0 पी0के0 बाजपेयी, अधिष्ठाता, भौतिकीय विज्ञान अध्ययनशाला अनुपस्थित थे।

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र0–01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 10–09–2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा बैठक दिनॉक 10–09–2018 के कार्यवृत्तों की संपुष्टि की गई।

विषय क्र0–02 **अधिष्ठाताओं की समिति की बैठक दिनॉक 12–10–2018 के कार्यवृत्त पर विचार ।**

स्थायी समिति द्वारा अधिष्ठाताओं की समिति की बैठक दिनॉक 12–10–2018 के कार्यवृत्त का निम्नानुसार संशोधनों के साथ अनुमोदन किया गया :–

1. डॉ0 रेणु भट्ट उक्त बैठक में अनुपस्थित थीं तथा उनके स्थान पर डॉ0 अनुपमा सक्सेना, प्रभारी अधिष्ठाता, जीव विज्ञान अध्ययनशाला के रूप में उपस्थित थी । अतः तद्नुसार डॉ0 रेणु भट्ट का नाम कार्यवृत्त से विलोपित किया जाये।

2. विषय क्रमॉक–02 में प्रश्न पत्रों के दो सेट मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को CBCS पाठ्यक्रमों एवं Non-CBCS पाठ्यक्रमों दोनों के लिये लागू

किया जाये तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रश्न पत्र का तीसरा सेट भी संबंधित परीक्षक/शिक्षक से मंगाये जाने का प्रावधान जारी किया जाय।

विषय क्र0–03 **अध्यादेश क्रमॉक 26 के प्रारूप एवं उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत लागू किये जाने वाले UFM संबंधी विनियम के प्रस्तावित प्रारूपों पर विचार।**

अध्यादेश क्रमॉक 26 के प्रारूप एवं उसके अन्तर्गत निर्मित UFM संबंधी विनियम पर स्थायी समिति द्वारा गहन चर्चा की गई एवं निम्नानुसार संशोधनों के साथ प्रस्तुत प्रारूप का अनुमोदन किया गया :–

1. प्रस्तावित अध्यादेश के पैरा 10 (e) में उल्लेखित प्रावधानों को विलोपित करते हुये निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया जाये–

   Provisions for appointment of examiners shall be as prescribed in the Regulations of the University and as amended from time to time.

2. प्रस्तावित अध्यादेश के पैरा 37 में उल्लेखित प्रावधानों को निम्नानुसार प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाये–

   Matters related to transparency, fairness and grievance redressal system in evaluation shall be governed by the provisions as prescribed in the Regulations and as amended from time to time.

   प्रस्तावित अध्यादेश एवं विनियम के प्रारूप का अनुमोदन किया गया ।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित विनियमों के प्रारूप प्रस्तावित करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाये –

1. प्रो0 एल0पी0 पटैरिया– संयोजक
2. प्रो0 मनीष श्रीवास्तव
3. प्रो0 व्ही0डी0 रंगारी
4. डॉ0 एम0सी0 राव
5. श्री एच0एन0 चौबे, परीक्षा नियंत्रक

उपरोक्तानुसार समिति यथोचित प्रस्ताव 10 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगी ।

विषय क्र0–04 शोध अध्यादेश क्रमॉक 03 के प्रारूप पर विचार।

शोध अध्यादेश क्रमॉक 03 के संशोधित प्रारूप जो कि UGC/MHRD के टीप पर आधारित है पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि शोध हेतु प्रस्तावित इस अध्यादेश को नवीन

क्रमॉक 71 प्रदान किया जाये तथा शोध अध्यादेश क्रमॉक 03 के प्रावधानों को यथावत रखा जाये।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि UGC/MHRD के टीप पर आधारित नवीन संशोधित अध्यादेश को अध्यादेश क्रमॉक 71 प्रदान करते हुए अनुमोदित किया जाय।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि वर्ष 2009 से लागू शोध अध्यादेश क्रमॉक 03 के प्रावधान तब तक यथावत प्रभावी रहेंगे जब तक कि उक्त अध्यादेश के प्रावधान के अधीन शोधरत् शोधार्थी निर्धारित अवधि में अपना पाठ्यक्रम पूर्ण नही कर लेते हैं।

शोध अध्यादेश क्रमॉक 03 के अधीन शोधरत् शोधार्थियों के पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर यह अध्यादेश स्वमेव निष्प्रभावी हो जायेगा।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि निर्णय तिथि के बाद शोध पाठ्यक्रम में नवीन प्रवेश प्रस्तावित अध्यादेश क्रमॉक 71 के प्रावधानों से शासित होंगे।

विषय क्र0–05 विभागीय शोध समिति (DRC) की संरचना पर विचार।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि नवीन शोध अध्यादेश के अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले शोधार्थियों के लिये DRC की संरचना निम्नानुसार होगी, जिसे शोध विनियम 2018 के संशोधन के रूप में विनियम R-11 में निम्नानुसार शामिल कर पढ़ा जायेगा:–

R 11 Departmental Research Committee, Research Advisory Committee and its functions :-

R 11.4 The DRC will put up such recommendations before the School Board and will take appropriate decision.

There shall be a Departmental Research Committee in each department consisting of the following :-

(i) Head of the Department (Chair); In case the incumbent Head does not possess Ph.D. degree then any Professor as nominated by the Vice-Chancellor shall chair the meeting.

(ii) One Professor (as external expert, nominated by Vice-Chancellor, who is not in GGV services)

(iii) Two Professors of the Department, by rotation according to seniority.

(iv) Two Associate Professors of the Department, by rotation according to seniority.

(v) Two Assistant Professors of the Department, possessing Ph.D. Degree, by rotation according to seniority.

In case, the Department does not have any Professor/Associate Professor, Head of the concerned department may co-opt members against above said categories from the Professors /Associate Professors of the School of Studies after approval of the Vice-Chancellor.

50% of the members shall constitute a quorum.

The term of the DRC will be for a period of three years form the date of notification.

विषय क्र0–06 CBCS प्रणाली के तहत संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित योजना पर विचार।

CBCS प्रणाली अधीन प्राप्त अंक योजनाओं का स्थायी समिति ने अनुमोदन किया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि एजेण्डा में सूचीबद्व विभागों के अतिरिक्त शेष बचे विभागों से अंक योजना प्राप्त होने पर उक्त अंक योजना के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाये।

विषय क्र0–07 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

1. विश्वविद्यालय का सातवॉ दीक्षांत समारोह दिनॉक 16–11–2018 को प्रातः 10.30 बजे से आयोजित है। उक्त दीक्षांत समारोह में श्री गोपाल व्यास जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता को आंमत्रित किये जाने का निर्णय स्थायी समिति द्वारा लिया गया ।

   स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि श्री गोपाल व्यास जी को दीक्षांत समारोह में समाज को उनके विशिष्ठ योगदान हेतु इस विश्वविद्यालय की डी0लिट्0 की मानद उपाधि (*Honoris Causa*) से विभूषित किया जाये।

2. स्थायी समिति ने 08 विद्यापीठ मण्डलों (School Boards) (वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन अध्ययनशाला को छोड़कर)के बैठकों के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया।

   स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सेमेस्टर परीक्षाओं/शोध ग्रंथों आदि के लिये परीक्षकों के निर्धारण हेतु विद्या परिषद्/स्थायी समिति की ओर से कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

कुलसचिव (कार्यवाहक)

कुलपति/अध्यक्ष